N.C.R.B/एन.सी.आर.बी
I.I.F.-I /एकीकृत जाँच फार्म-I

FIRST INFORMATION REPORT
Under Section 173 B.N.S.S.

(प्रथम सूचना रिपोर्ट)
अंतर्गत धारा 173 बी. एन. एस. एस.

1. **District (जिला):** ACB DISTRICT **P.S. (थाना):** C.P.S Jaipur **Year (वर्ष):** 2024

2. **FIR No. (प्र.सू.रि.सं):** 0228 **Date and Time of FIR (एफआईआर की तिथि/समय):** 10/10/2024 20:12 बजे

S.No. (क्र.सं.)	Acts (अधिनियम)	Sections (धाराएँ)
1	भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 (2018 के अधिनियम संख्या 16 द्वारा संशोधित)	7

3. (a) **Occurrence of offence (अपराध की घटना):**

1. **Day(दिन):** दरमियानी दिन **Date From (दिनांक से):** 07/10/2024 **Date To (दिनांक तक):** 09/10/2024

Time Period (समय अवधि): पहर **Time From (समय से):** 16:30 बजे **Time To (समय तक):** 12:33 बजे

(b) **Information received at P.S. (थाना जहाँ सूचना प्राप्त हुई):** **Date (दिनांक):** 10/10/2024 **Time (समय):** 18:10 बजे

(c) **General Diary Reference (रोजनामचा संदर्भ) :** **Entry No. (प्रविष्टि सं.):** 001 **Date & Time (दिनांक एवं समय)** 10/10/2024 20:12:41 बजे

4. **Type of Information (सूचना का प्रकार):** लिखित

5. **Place of Occurrence (घटनास्थल):**

1. (a) **Direction and distance from P.S. (थाने से दिशा और दूरी):** SOUTH, 520 किमी **Beat No. (बीट सं.) :** NOT APPLICABLE

(b) **Address(पता):** sintex choraha, dungarpur

(c **In case, outside the limit of this Police Station, then (यदि थाना सीमा के बाहर हैं तो)**

Name of P.S (थाना का नाम): **District(State) (जिला (राज्य)):**

6. **Complainant / Informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता):**

(a) **Name(नाम):** gatulal

(b) **Father's Name (पिता का नाम):** rupaji

(c) **Date/Year of Birth (जन्म तिथि/ वर्ष):** 1963 **(d)Nationality(राष्ट्रीयता):** INDIA

(e) **UID No(यूआईडी सं.):**

(f) **Passport No. (पासपोर्ट सं.):**
Date of Issue (जारी करने की तिथि): **Place of Issue (जारी करने का स्थान):**

(g) **Id details (Ration Card,Voter ID Card,Passport,UID No.,Driving License,PAN) (पहचान विवरण(राशन कार्ड, मतदाता पहचान पत्र,पारपत्र,आधार कार्ड सं,ड्राइविंग लाइसेंस,पैन)):**

S.No.	Id Type	Id Number

(h) **Occupation (व्यवसाय):**

(i) **Address(पता):**

S.No. (क्र. सं.)	Address Type (पता का प्रकार)	Address (पता)
1	वर्तमान पता	pakhron, vasuwa, DUNGARPUR, RAJASTHAN, INDIA
2	स्थायी पता	pakhron, vasuwa, DUNGARPUR, RAJASTHAN, INDIA

(j) **Phone number (दूरभाष न.):** **Mobile (मोबाइल न.):** [redacted]

7. **Details of known/suspected/unknown accused with full particulars (ज्ञात/संदिग्ध/अज्ञात अभियुक्त का पुरे विवरण सहित वर्णन):**

Accused More Than(अज्ञात आरोपी एक से अधिक हो तो संख्या):

S.No. (क्र.सं.)	Name (नाम)	Alias (उपनाम)	Relative's Name (रिश्तेदार का नाम)	Address (पता)
1	ramesh chandra koted		पिता:haliyaji koted	1. gumanpura,dungarpur,DUNGARPUR,RAJASTHAN,INDIA

8. **Reasons for delay in reporting by the complainant/informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता द्वारा रिपोर्ट देरी से दर्ज कराने के कारण):**

9. **Particulars of properties of interest (Attach separate sheet, if necessary) (सम्बन्धित सम्पत्ति का विवरण(यदि आवश्यक हो, तो अलग पृष्ट नत्थी करें)):**

S.No. (क्र.सं.)	Property Category (सम्पत्ति श्रेणी)	Property Type (सम्पत्ति के प्रकार)	Description (विवरण)	Value(In Rs/-) (मूल्य(रु में))
1	सिक्के और मुद्रा	रुपये		10,000.00

10. **Total value of property stolen(In Rs/-)**
(चोरी हुई संपत्ति का कुल मूल्य(रु में)): 10,000.00

11. **Inquest Report / U.D. case No., if any (मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट / यू.डी.प्रकरण न., यदि कोई हो):**

S.No. (क्र.सं.)	UIDB Number (यू.आई.डी.बी. संख्या)

12. **First Information contents (Attach separate sheet, if necessary)**
(प्रथम सूचना तथ्य(यदि आवश्यक हो , तो अलग पृष्ठ नत्थी करे)):

महोदयजी, वाकियात मामला इस प्रकार है कि दिनांक 07-10-2024 को समय करीब 04.30 पी.एम. पर ब्यूरो चौकी डूंगरपुर पर परिवादी श्री गटूलाल खराडी पुत्र श्री रूपाजी जाति भील, उम्र 61 वर्ष, निवासी मुकाम पोस्ट पाखरोण, ग्राम पंचायत वासूवा, तहसील व जिला डूंगरपुर हाल सेवानिवृत्त शिक्षाकर्मी ने कार्यालय में उपस्थित होकर एक हस्तलिखित रिपोर्ट मन् पुलिस उप अधीक्षक रतनसिंह राजपुरोहित को इस आशय की पेश की कि"मैं प्रार्थी गटूलाल खराडी पुत्र स्व. श्री रूपाजी खराडी जाति भील, उम्र 61 वर्ष, निवासी मुकाम पोस्ट पाखरोण, ग्राम पंचायत वासूवा, तहसील व जिला डूंगरपुर का निवासी हूॅ। मैं वरिष्ठ सहायक शिक्षाकर्मी के पद से राजकीय प्राथमिक विद्यालय डूंगरा फला पाखरोण से दिनांक 31.01.2024 को सेवानिवृत्त हुआ हू सेवानिवृत्ति के बाद माह अप्रेल 2024 में मैने पेंशन से संबंधित सभी कागजात तैयार कर कार्यालय ब्लॉक शिक्षा अधिकारी, बिछीवाडा में पेंशन प्रकरण तैयार करने वाले श्री रमेश चन्द्र कोटेड वरिष्ठ सहायक शिक्षाकर्मी को दिये तो उस समय श्री रमेश चन्द्र कोटेड ने मुझसे पेंशन प्रकरण बनाने के बदले में मेरे से 20,000/- रूपये अक्षरे बीच हजार मांगे थे और कहा था। सबसे 20,000/- ही लिये हैं और भी जब तक 20,000/- रूपये नहीं आयेंगे तब तक पेंशन नहीं बनेगी। क्योकि मुझे भी आगे सभी अधिकारियों को रूपये देने पडते हैं। जिस पर मैंने 5000/- रूपये मैने श्री रमेश चन्द्र कोटेड को दे दिये और बाकी 15,000/- रूपये पेंशन बनने के बाद देने का वादा किया था। मेरी सेवानिवृत्ति के करीब 10 माह के बाद भी मेरी पेंशन शुरू नहीं हुई मैने रमेशजी को कई बार मोबाईल से पेंशन बनाने के बारे में कहा लेकिन कोई न कोई बहाना बना देते थे। आज दिनांक 07.10.2024 को मेरे मोबाईल नं. [redacted] से रमेश चन्द्रजी से बात की तो रमेशजी ने मुझे बताया कि जो आपने पहले के.वाई.सी. करवाई थी वो निरस्त हो गई हैं कल पुनः के.वाई.सी. करवानी पडेगी । इसलिए आप कल अपने पूरे कागजात लेकर कनबा आकर मुझसे मिलना और कहा कि बाकी के 15,000/- रूपये लेकर आना। जिस पर मैने कहा कि मैं कल कनबा आकर आपसे मिलता हूॅ। मैं रमेश चन्द्र कोटेड को रिश्वत राशि नही देना चाहता हूँ रिश्वत लेते हुए रंगे हाथो पकडवाना चाहता हूँमेरी रमेश चन्द्र कोटेड से पुरानी कोई लेन देन बाकी नही है ना ही कोई पुरानी दुश्मनी या रंजिश हैं। अतः श्रीमान् आप द्वारा उचित कार्यवाही करावे" प्रार्थी श्री गटूलाल द्वारा प्रस्तुत हस्तलिखित रिपोर्ट का अवलोकन किया गया तो मामला रिश्वत राशि की मांग करने का पाया जाने से रिश्वत राशि मांग सत्यापन की कार्यवाही करवाया जाना आवश्यक होने पर परिवादी श्री गटूलाल को रिश्वत राशि मांग वार्ता करने हेतु कहा गया। परिवादी श्री गटूलाल ने कहा कि मुझे श्री रमेशजी ने कल सभी कागजात लेकर कनबा बुलाया हैं। मैं कल उनसे मिलने जाउंगा तब श्री रमेशजी मुझसे बाकी के 15,000/- मांग सकते हैं। जिस पर मैंने परिवादी श्री गटूलाल को गोपनीयता की हिदायत देकर कल दिनांक 08.10.2024 को वापस कार्यालय में उपस्थित होने हेतु पाबन्द कर रवाना किया गया। दिनांक 08-10-2024 समय 11.40 ए.एम. पर परिवादी गटूलाल कार्यालय में उपस्थित हुआ और मन् पुलिस उप अधीक्षक को बताया कि श्री रमेशजी ने मुझे फोन कर बताया कि आप एक बजे के आस-पास कनबा ईमित्र की दुकान पर आकर मिलना। जिस पर मन् पुलिस उप अधीक्षक द्वारा ब्यूरो कार्यालय में पदस्थापित श्री जितेन्द्र कुमार कान्सटेबल नं. 390 को मेरे कक्ष में बुलाया गया तथा परिवादी श्री गटूलाल व कानि. श्री जितेन्द्र कुमार का आपस में परिचय कराया गया। श्री जितेन्द्र कुमार कानि. से कार्यालय की अलमारी में सुरक्षित रखे डिजिटल वॉईस टेप रिकॉर्डर व नया खाली मेमोरी कार्ड मंगवाया जाकर परिवादी श्री गटूलाल को डिजिटल टेप रिकॉर्डर चालु व बन्द करने की समझाईश की गई तत्पश्चात् रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता कर लाने हेतु आवश्यक हिदायत दी गई। परिवादी श्री गटूलाल एवं कानि श्री जितेन्द्र कुमार को एक दूसरे के मोबाईल नम्बर आपस में दिये गये। उसी समय करीब 12.09 पीएम पर परिवादी श्री गटूलाल के मोबाईल पर श्री रमेश चन्द्र कोटेड के मोबाईल नं. [redacted] से कॉल आया जिसे डिजिटल टेप रिकॉर्डर में रिकार्ड किया गया। श्री रमेश चन्द्र कोटेड ने परिवादी श्री गटूलाल को कहां होने की जानकारी लेते हुए जल्दी आने के लिए बोला। तत्पश्चात् मन् पुलिस उप अधीक्षक द्वारा समय करीब 12.15 पीएम पर परिवादी श्री गटूलाल को उसकी निजी मोटरसाईकिल पर कनबा की तरफ किया गया एवं कानि. जितेन्द्र कुमार को मय डिजिटल टेप रिकोर्डर मय नया खाली मेमोरी कार्ड के सरकारी मोटर साईकिल से परिवादी के पीछे-पीछे मांग सत्यापन वार्ता हेतु कनबा की तरफ रवाना किया गया। समय 03.40 पी.एम. पर श्री जितेन्द्र कुमार कानि. मय डिजिटल टेप रिकॉर्डर मय मेमोरी कार्ड एवं परिवादी श्री गटूलाल ब्यूरो कार्यालय डूंगरपुर पर उपस्थित हुए और मन् पुलिस उप अधीक्षक को ब्यूरो का डिजिटल टेप रिकॉर्डर मय मेमोरी कार्ड सुरक्षित सुपुर्द करते हुए श्री जितेन्द्र कुमार कानि. ने बताया कि मैं व

परिवादी श्री गटूलाल आपके निर्देशानुसार ब्यूरो कार्यालय से रवाना होकर राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय कनबा के पास पंहुच समय करीब 12.55 पीएम पर परिवादी श्री गटूलाल को मेरे द्वारा पुनः डिजिटल वाईस रिकॉर्डर की संचालन की विधि को समझा कर डिजिटल टेप रिकॉर्डर मय नया खाली मेमोरी कार्ड लगा हुआ को चालू कर परिवादी श्री गटूलाल को दिया जाकर कनबा ईमित्र की दुकान की तरफ रवाना किया गया। मैं भी वहां से रवाना होकर ईमित्र आस-पास अपनी उपस्थिति छुपाते हुए खड़ा रहा। समय करीब 02.31 पी.एम. पर परिवादी गटूलाल वापस मेरे पास आया तथा डिजिटल टेप रिकॉर्डर मय मेमोरी कार्ड को मुझे सुपुर्द किया जिसे मेने बन्द कर मेरे पास सुरक्षित रख लिया। परिवादी श्री गटूलाल ने मुझे बताया कि मैं मय डिजिटल वाईस रिकॉर्डर के आपके पास से रवाना होकर ईमित्र की दुकान पर गया तो वहां श्री रमेश चन्द्रजी कोटेड नहीं मिले। जिस पर मैंने मेरे मोबाईल से रमेशजी को कॉल किया तो श्री रमेशजी ने बताया कि मैं 10 मिनट में आ रहा हूँ आप कागजात ईमित्र पर नवीन को दे दो। जिस पर मैने नवीन को कागजात देकर रमेशजी को फोन पर बता दिया। करीब एक घंटे बाद श्री रमेशजी कोटेड आये जिनको मैने मेरे पेंशन प्रकरण से संबंधित कागजात बताये और मैने कहा कि मेरी पेंशन कब तक बन जायेगी, तो उन्होने मुझे बताया कि मुझे अधिकारी को रूपये देने हैं। जिस पर मैने कहा कि कितने रूपये देने हैं आप बोला जिस पर श्री रमेशजी ने बताया कि आपने मुझे पहले 5,000/- रूपये दे दिये हैं अब 12,000/- रूपये और दे पडेंगे। वेसे तो 20,000/- रूपये होते हैं लेकिन आप मेरे साथी हो इसलिए 17,000/- रूपये में ही काम चल जायेगा, तब मैने कहा कि मैं कल रूपयों की व्यवस्था करके आपको कहां पर मिलु, जिस पर श्री रमेशजी ने बताया कि कल 12 बजे के आस-पास आप मुझे फोन करना मैं बता दूंगा। तत्श्चात परिवादी श्री गटूलाल को इस बारे में पुछा गया तो उसने श्री जितेन्द्र कानि. के द्वारा बताये गये तथ्यों की ताईद की। उसके बाद श्री जितेन्द्रकुमार कानि. द्वारा पेश किया गया डिजिटल टेप रिकॉर्डर को चालु कर सुना गया तो रिश्वत राशि मांग सत्यापन की पुष्टि हुई। डिजिटल टेप रिकॉर्डर मय मेमोरी कार्ड को सुरक्षित कार्यालय की आलमारी में रखवाया गया। परिवादी श्री गटूलाल को कल दिनांक 09.10.2024 को 08.00 एएम पर रिश्वत में दी जाने राशि 12,000/- रूपये लेकर कार्यालय में उपस्थित होने एवं गोपनीयता बरतने की हिदायत देकर रवाना किया गया। समय 05.10 पी.एम. पर दिनांक 09.10.2024 को आयोजित की जाने वाली ट्रेप कार्यवाही में स्वतंत्र गवाहान की आवश्यकता होने से श्रीमान् मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद डूंगरपुर के नाम इस कार्यालय के पत्रांक 995 दिनांक 08.10.2024 जारी कर श्री महेश कुमार कानि. को रवाना किया गया। समय 06.10 पी.एम. पर पूर्व का रवानाशुदा कानि. श्री महेश कुमार कार्यालय में उपस्थित हुआ और एक पत्र पेश किया। जिसका अवलोकन किया गया तो कार्यालय जिला परिषद ग्रामीण विकास प्रकोष्ठ डूंगरपुर द्वारा अपने पत्रांक 766 दिनांक 08.10.2024 जारी कर श्री प्रवीण सिंह राव अति. विकास अधिकारी एवं श्री मनोज कुमार सुथार कनिष्ठ सहायक को स्वतंत्र गवाहान हेतु मनोनित किया गया। कार्यालय में उपस्थित स्टाफ के सदस्यो को दिनांक 09.10.2024 को प्रातः 08.00 एएम पर ब्यूरो कार्यालय पर उपस्थित होने की हिदायत दी गई तथा समस्त हालात उच्चाधिकारियों को निवेदन किये गये। दिनांक 09-10-2024 समय 08.45 ए. एम. पर पाबन्दशुदा परिवादी श्री गटूलाल कार्यालय में उपस्थित हुआ। जिसे रिश्वत में दी जाने वाली राशि 10,000/- रूपये के बारे में पूछा तो उसने बताया कि मैं 10,000/- रूपये की व्यवस्था करके साथ में लेकर आया हूँ। जिस पर मैने परिवादी को कार्यालय के एक कक्ष में बिठाया गया। समय 09.00 ए.एम. पर पाबन्दशुदा स्वतंत्र गवाहान श्री प्रवीण सिंह पुत्र श्री मदन सिंह राव जाति राजपुत, उम्र 49 वर्ष निवासी मुकाम गाठडा पोस्ट तालोरा, तहसील साबला, जिला डूंगरपुर हाल अतिरिक्त विकास अधिकारी, पंचायत समिति डूंगरपुर, जिला डूंगरपुर। मो.न. [redacted] एवं श्री मनोज कुमार पुत्र श्री लालशंकर सुथार जाति सुथार उम्र 40 वर्ष निवासी मुकाम पोस्ट पुनाली तहसील दोवडा, जिला डूंगरपुर हाल कनिष्ठ सहायक कार्यालय ग्रामीण विकास प्रकोष्ठ जिला परिषद, डूंगरपुर। मो.न. [redacted] कार्यालय हाजा पर उपस्थित हुये। दोनो स्वतंत्र गवाहान को मन् पुलिस उप अधीक्षक ने उपरोक्त ट्रैप कार्यवाही में बतौर स्वतंत्र गवाहान के रूप मे उपस्थित रहने हेतु कहने पर दोनो ने अपनी-अपनी सहमति मौखिक ही व्यक्त की गई। तत्पश्चात् परिवादी श्री गटूलाल एवं दोनों स्वतंत्र गवाहान का आपस में परिचय करवाया गया। परिवादी श्री गटूलाल की ओर से ब्यूरो कार्यालय में प्रस्तुत किया प्रार्थना पत्र को पढ़कर सुनाया गया तो परिवादी ने शब्द ब शब्द की पुष्टि कर अपने हस्ताक्षर होना स्वीकार किया गया। तत्पश्चात् परिवादी के प्रार्थना पत्र पर दोनों गवाहान के हस्ताक्षर करवाये गये। समय 09.10 ए.एम. पर कानि. श्री जितेन्द्र कुमार से कार्यालय की आलमारी में सुरक्षित रखी डिजिटल टेप रिकॉर्डर मय मेमोरी को मंगवाया जाकर दिनांक 08.10.2024 को समय 12.09 पीएम पर परिवादी श्री गटूलाल एवं संदिग्ध श्री रमेश चन्द्र कोटेड शिक्षाकर्मी के मध्य हुई मोबाईल रिश्वत राशि मांग सत्यापन वार्ता जिसे परिवादी श्री गटूलाल के मोबाईल का स्पीकर ऑन कर डिजिटल टेप रिकॉर्डर में रिकॉर्ड की थी। डिजिटल टेप रिकार्डर को चालू कर दोनो स्वतंत्र गवाहान को सुनाई गई जाकर फर्द ट्रान्सस्क्रिप्ट मुर्तिब की जाकर संबंधितों के हस्ताक्षर करवाये गये। समय 09.25 ए.एम. पर दिनांक 08.10.2024 को समय करीब 12.50 पीएम पर परिवादी श्री गटूलाल एवं संदिग्ध श्री रमेश चन्द्र कोटेड शिक्षाकर्मी के मध्य रूबरू हुई रिश्वत राशि मांग सत्यापन वार्ता जिसे परिवादी श्री गटूलाल द्वारा डिजिटल टेप रिकॉर्डर में रिकॉर्ड की थी उसे डिजिटल टेप रिकार्डर को चालू कर दोनो स्वतंत्र गवाहान को सुनाई गई तो उनके द्वारा भी रिश्वत राशि मांग सत्यापन होने की पुष्टि की गई। तत्पश्चात् परिवादी व संदिग्ध श्री रमेश चन्द्र कोटेड के मध्य हुई रिश्वत राशि मांग सत्यापन वार्ता की फर्द ट्रान्सस्क्रिप्ट मुर्तिब की जाकर संबंधितों के हस्ताक्षर करवाये गये

। समय 11.20 ए.एम. पर उपरोक्त गवाहान के समक्ष मन् पुलिस उप अधीक्षक द्वारा परिवादी श्री गटूलाल से संदिग्ध श्री रमेश चन्द्र कोटेड को रिश्वत में दी जाने वाली राशि पेश करने हेतु कहने पर परिवादी श्री गटूलाल ने अपने पास से 500-500 रूपये के 20 नोट कुल राशि 10,000 रूपये भारतीय चलन मुद्रा के प्रस्तुत किये। परिवादी श्री गटूलाल द्वारा पेश किये गये उक्त समस्त नोटों पर श्री महेश चन्द्र कानि. न. 394 से कार्यालय के मालखाने में रखी फिनोफ्थलीन पाउडर की शीशी को मंगवाया जाकर कार्यालय मे टेबल पर अखबार बिछाकर उपरोक्त नोटों के दोनों ओर फिनोफ्थलीन पाउडर लगवाया जाकर परिवादी श्री गटूलाल की जामातलाशी स्वतन्त्र गवाह श्री जितेन्द्र कुमार कानि.390 से लिवाई गयी। संदिग्ध श्री रमेश चन्द्र कोटेड को देने के लिए परिवादी श्री गटूलाल द्वारा पेश किये गये नोटों को श्री महेश चन्द्र कानि. से ही परिवादी श्री गटूलाल की पहनी हुई पेंट की सामने की बाई जेब में कोई शैः नही छोड़ते हुए रखवाये गये। तत्पश्चात् श्री जितेन्द्र कुमार कानि. से एक प्लास्टिक के डिस्पोजल के साफ गिलास में साफ पानी मंगवाया जिसमें एक चम्मच सोडियम कार्बोनेट पाउडर डलवाकर घोल तैयार करवाया जाकर गवाहान एवं परिवादी को दिखाया गया तो उन्होनें घोल का रंग अपरिवर्तित होना स्वीकार किया। उक्त रंगहीन घोल में श्री महेश चन्द्र कानि. की उंगलियों व अंगुठे को डूबोकर धुलवाया गया तो घोल का रंग गुलाबी हो गया। इस प्रकार परिवादी तथा स्वतंत्र गवाहान के समक्ष फिनोफ्थलीन पाउडर एवं सोडियम कार्बोनेट पाउडर की रासायनिक प्रतिक्रिया प्रदर्शित कर बताई गई एवं उसके मन्तव्य से अवगत कराते हुए बताया कि यदि आरोपी परिवादी से रिश्वत् राशि मांग कर अपने हाथों से ग्रहण करेंगे तो नोटों पर लगा फिनोफ्थलीन पाउडर उनकी हाथों की अंगुलियों व अंगुठे पर लग जाएगा और जब उसके हाथों की उंगलियों व अंगुठे को उपरोक्तानुसार धुलवाया जाएगा तो घोल का रंग गुलाबी हो जाएगा। जिससे यह प्रमाणित होगा कि आरोपी ने रिश्वत् राशि मांग कर अपने हाथों से ग्रहण की है। उक्त गुलाबी घोल को श्री महेश चन्द्र कानि से कार्यालय के बाहर नाली में फिकवाया गया तथा अखबार व प्लास्टिक के डिस्पोजल गिलास को जलाकर नष्ट किया गया। फिनोफ्थलीन पाउडर की शीशी को श्री महेश चन्द्र कानि से ही मालखाने में सुरक्षित रखवाई गई तथा परिवादी को यह भी हिदायत दी गई कि वह आरोपी के द्वारा रिश्वत राशि मांगने पर ही उसे देवे तथा रिश्वत राशि देने से पूर्व या देने के बाद उसके शरीर के किसी अंग को नहीं छुए। यदि अभिवादन की आवश्यकता हो तो हाथ जोड़कर अभिवादन करें। परिवादी को यह भी हिदायत दी गई कि रिश्वत राशि देते समय जल्दबाजी व घबराहट का प्रदर्शन न करे, तथा रिश्वत राशि दे चुकने के बाद अपने सिर पर पहनी हुई टोपी को उतार कर हाथ में लेकर या मन् पुलिस उप अधीक्षक के मोबाईल पर मिस कॉल कर गोपनीय निर्धारित ईशारा करें। यह निर्धारित ईशारा ट्रेप पार्टी के सभी सदस्यों को समझाया गया। श्री जितेन्द्र कानि. से ट्रेप कार्यवाही में प्रयुक्त होने वाली कांच की शिशियॉ, गिलास, ढक्कन, चम्मच इत्यादि को साफ पानी व साबुन से दो बार धुलवाकर ट्रेप बाक्स में रखवाये गये। कार्यालय में उपस्थित स्टाफ के सदस्यों व दोनो गवाहान तथा परिवादी का आपस में परिचय करवाया गया तत्पश्चात् गवाहान तथा ट्रेप पार्टी के सदस्यों को यह भी हिदायत दी गई कि यथासंभव अपनी-अपनी उपस्थिति को छिपाते हुए परिवादी तथा आरोपी के मध्य रिश्वत राशि के लेन-देन को देखने व सुनने का प्रयास करे एवं परिवादी श्री गटूलाल को हिदायत दी गई कि रिश्वत् राशि के लेन-देन के वक्त संदिग्ध से होने वाली वार्तालाप को डिजीटल टेप रिकार्डर में रिकॉर्ड करें। परिवादी, स्वतंत्र गवाहान तथा ट्रेप पार्टी के सभी सदस्यों के हाथ साफ पानी व साबुन से धुलवाये गये। श्री महेश कानि. को ब्यूरो कार्यालय मे ही उपस्थित रहने की हिदायत दी गई। उक्त कार्यवाही की फर्द पृथक से मुर्तीब कर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवा शामील कार्यवाही की गई। समय 11.41 ए.एम. पर मन् पुलिस उप अधीक्षक द्वारा परिवादी श्री गटूलाल के मोबाईल नं.[redacted] से संदिग्ध श्री रमेश चन्द्र कोटेड के मोबाईल नं. [redacted] पर कॉल करवाया गया तो संदिग्ध ने बताया कि तुम कहॉ हो, जिस पर परिवादी ने बताया कि मैं डूंगरपुर हूॅं, तो संदिग्ध ने बताया कि मैं आधे घंटे में सीन्टेक्स चौराहे पर आ रहा हूॅं। आप वहां मुझसे मिलो। उक्त मोबाईल वार्ता डिजिटल टेप रिकॉर्डर में रिकार्ड की गई थी। लेकिन किसी तकनिकी कारणवश मेमोरी कार्ड में प्रदर्शित हो रही हैं लेकिन प्ले नहीं हो रही हैं। इसलिए उक्त मोबाईल वार्ता की फर्द मुर्तिब नहीं की गई। समय 12.10 पी.एम. पर मन् पुलिस उप अधीक्षक द्वारा परिवादी श्री गटूलाल को उसकी निजी मोटरसाईकिल के साथ श्री जितेन्द्रकुमार कानि. को मय डिजिटल टेप रिकॉर्डर मय मेमोरी कार्ड के सीन्टेक्स चौराहा डूंगरपुर की ओर रवाना करते हुए श्री जितेन्द्रकुमार कानि. को सीन्टेक्स चौराहा पहुंच कर डिजिटल टेपरिकार्डर शुरू कर परिवादी श्री गटूलाल को सुपुर्द करने की हिदायत दी गई एवं श्री करणसिंह एएसआई व श्री वीर विक्रमसिंह कानि. को उनकी निजी मोटरसाईकिल परिवादी के पीछे-पीछे रवाना कर मन् पुलिस उप अधीक्षक, दोनो स्वतन्त्र गवाह प्रवीण सिंह व श्री मनोज कुमार, श्री राजेन्द्रसिंह पुलिस निरीक्षक, श्री नारायण लाल अ.प्र.अ., श्री बाबूलाल कानि. मय लेपटोप व प्रिन्टर, ट्रेप बॉक्स, सरकारी केमरा व आवश्यक संसाधनों के जरिये सरकारी वाहन संख्या आर.जे.-14-यू.सी.-8793 से सभी ब्यूरो कार्यालय डूंगरपुर से सीन्टेक्स चौराहा डूंगरपुर के लिये रवाना हुए। समय 12.20 पी.एम. पर मन् पुलिस उप अधीक्षक मय हमराहियानों के सीन्टेक्स चौराहा डूंगरपुर पहुंच अपने-अपने वाहनों को रोड के साईड में खडे कर अपनी-अपनी उपस्थिति छुपाते हुए परिवादी के पूर्व निर्धारित ईशारे की इन्तजार में मुकीम हुए। समय 12.33 पी.एम. पर परिवादी श्री गटूलाल ने सीन्टेक्स चौराहा बायपास रोड के पास बनी चाय की केबीन जो बंद थी के पास से अपने सिर पर पहनी हुई टोपी को उतार कर अपने हाथ में लेना जो रिश्वती राशि स्वीकारोक्ति का पूर्व निर्धारित ईशारा करने पर मन् पुलिस उप अधीक्षक मय स्वतंत्र गवाहान एवं ब्यूरो के जाप्ता ने देखा तत्पश्चात् मन् पुलिस उप अधीक्षक, दोनो

स्वतन्त्र गवाहान एवं ब्यूरो जाब्ता के साथ परिवादी के पास पहुंचे तो परिवादी ने रिश्वती राशि के लेनदेन के वक्त हुई वार्तालाप जिसे परिवादी के द्वारा ब्यूरो के डिजीटल टेप रिकॉर्डर में रिकॉर्ड की, उस डिजीटल टेप रिकॉर्डर मय मेमोरी कार्ड को कानि. श्री जितेन्द्र कुमार को दिया जिस कानि. द्वारा बंद कर अपने पास सुरक्षित रख लिया। तत्पश्चात परिवादी गटूलाल ने अपने पास ही बैठे हुए एक व्यक्ति की तरफ ईशारा कर बताया कि यह ही श्री रमेश चन्द्र कोटेड शिक्षाकर्मी हैं जिन्होने अभी-अभी अपनी मांग के अनुसार 10,000/-रूपये मेरे मांग कर लिये हैं, जो इनके हाथ में ही हैं। जिस पर मन् पुलिस उप अधीक्षक द्वारा स्वयं तथा स्वतंत्र गवाहान तथा ट्रैप पार्टी के सदस्यों का परिचय देते हुए अपना परिचय पत्र दिखाते हुए अपने आने के मन्तव्य से अवगत करा आरोपी से उसका नाम पूछा तो उसने अपना नाम श्री रमेशचन्द्र कोटेड शिक्षाकर्मी होना बताते हुए घबरा गया तथा हाथ जोड़ने लगा। तत्पश्चात मन् पुलिस उप अधीक्षक द्वारा स्वतंत्र गवाह श्री प्रवीणसिंह से आरोपी श्री रमेश चन्द्र के दाहिने हाथ में पकडी रिश्वत राशि जो 500-500 रूपये के कुछ नोट थे जिन्हे आरोपी श्री रमेश चन्द्र के हाथ से लिवाई जाकर स्वतंत्र गवाह श्री प्रवीण सिंह के पास सुरक्षित रखवाई गई। उसके बाद आरोपी श्री रमेशचन्द्र के दाहिना हाथ श्री जितेन्द्रकुमार कानि. व बांया हाथ श्री करणसिंह एएसआई से कलाई के पास से पकडवाया गया। मौके पर चौराहा, आमजन की आवाजाही के कारण भीड इकठ्ठी होने के कारण आरोपी श्री रमेशचन्द्र कोटेड को उसी अवस्था में डिटेन कर मन् पुलिस उप अधीक्षक मय हमराहियानों तथा आरोपी श्री रमेशचन्द्र के घटना स्थल से रवाना हो ब्यूरो कार्यालय डूंगरपुर पहुंच कर आरोपी श्री रमेशचन्द्र कोटेड को कार्यालय कक्ष में सुरक्षित बिठाया गया। तत्श्चात् श्री जितेन्द्र कुमार कानि. ने डिजिटल टेप रिकार्डर मय मेमोरी कार्ड बंद हालात में मन् पुलिस उप अधीक्षक को सुपुर्द किया। जिसे मैने अपने पास सुरक्षित रख लिया। उसके बाद मन् पुलिस उप अधीक्षक द्वारा कार्यवाही के हालात उच्चाधिकारियों जरिये दूरभाष अवगत कराये गये। तत्पश्चात मन् पुलिस उप अधीक्षक द्वारा आरोपी श्री रमेश चन्द्र कोटेड से अपना नाम व पता पूछने पर उसने बताया कि मेरा नाम रमेश चन्द्र कोटेड पिता श्री हलियाजी कोटेड जाति मीणा, उम्र 58 वर्ष निवासी गांव गुमानपुरा तहसील व जिला डूंगरपुर हाल शिक्षाकर्मी राजकीय प्राथमिक विद्यालय आरा, तहसील बिछीवाडा जिला डूंगरपुर होना बताया जिस पर मन् पुलिस उप अधीक्षक द्वारा आरोपी श्री रमेशचन्द्र कोटेड से पूछा कि आपने परिवादी श्री गटूलाल से 10,000/- रूपये किस बात के लिए लिये। जिस पर आरोपी श्री रमेशचन्द्र कोटेड ने बताया कि मैने गटूलाल को उधार दिये थे, जो गटूलाल ने मुझे वापस दिये। जिस पर पास ही बैठे श्री गटूलाल ने कहा कि रमेशजी झूठ बोल रहे हैं। इन्होने मेरे से पेंशन बनाने की एवज में 20,000/- रूपये मांगे थे। मैं इनको पहले 5000/- दे चुका हूँ10,000/- रूपये आज दिये हैं। आज दिन तक मेरी पेन्शन नहीं बनी हैं। जिस पर आरोपी श्री रमेश चन्द्र कोटेड से पुनः रिश्वत राशि लेने के बारे में पूछा तो उसने बताया कि मैने गटूलाल से रूपये लेकर आगे पीएफ ऑफीस उदयपुर में देकर पेंशन का काम करवा दूंगा। इसलिए मैने गटूलाल से आज 10,000/- रूपये लिये हैं। अग्रिम प्रकियानुसार आरोपी श्री रमेशचन्द्र कोटेड के दोनो हाथों के धोवन लिया जाना वांछित होने से श्री वीर विक्रम सिंह कानि. से सरकारी वाहन में से टेप बॉक्स मंगवाया जाकर टेप बॉक्स में से दो नई प्लास्टिक के पारदर्शी साफ गिलास निकवाकर कार्यालय में से पानी मंगवाया जाकर उक्त गिलासों में साफ पानी भरवाकर इनमें एक-एक चम्मच सोडियम कॉर्बोनेट पाउडर डलवाकर घोल तैयार करवाया गया तो घोल का रंग अपरिवर्तित रहा। जिसे उपस्थितिन ने स्वीकार किया। उक्त गिलास के रंगहीन घोल में आरोपी श्री रमेशचन्द्र कोटेड के दाहिने हाथ की अंगुलियो व अंगुठे को डुबोकर धुलवाई गई तो घोल का रंग गुलाबी हुआ। जिसे कांच की दो साफ शिशियों में आधा-आधा भरवाया जाकर सिलचिट बंद श्री वीर विक्रम सिंह कानि. से कराये जाकर मार्क RH.1 व RH.2 अंकित करा चिट व कपड़े पर संबंधितों के हस्ताक्षर करवाये गये। इसी प्रकार दूसरे गिलास के रंगहीन घोल में आरोपी श्री रमेशचन्द्र कोटेड के बाये हाथ की अंगुलियों व अंगुठे को डुबोकर धुलवाई गई तो घोल का रंग गुलाबी हुआ। जिसे कांच दो साफ शिशियों में आधा-आधा भरवाया जाकर सिलचिट बंद श्री वीर विक्रमसिंह कानि. से कराये जाकर मार्क LH.1 व LH.2 अंकित करा चिट व कपड़े पर संबंधितों के हस्ताक्षर करवाये गये। तत्पश्चात आरोपी श्री रमेशचन्द्र कोटेड के हाथे से बरामद रिश्वत् राशि को मौके पर गवाह श्री प्रवीणसिंह के पास सुरक्षित रखवाई गई थी, को दोनों स्वतंत्र गवाहान से पूर्व में मुर्तिब फर्द में अंकित नम्बरों से मिलान करवाने पर नोटों के नम्बर हुबहू होना स्वीकार करते हुए 500-500 के 20 नोट कुल 10,000/-रूपये भारतीय मुद्रा के होना बताया। उपरोक्त बरामद 10,000/- रूपये की रिश्वती राशि पर एक सफेद कागज की चिट लगाकर श्री वीर विक्रम सिंह कानि. से सिलचिट करा सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाकर नियमानुसार कब्जे ब्यूरों लिये गये। आरोपी श्री रमेश चन्द्र कोटेड को तसल्ली देते हुए मन् पुलिस उप अधीक्षक द्वारा पूछा कि पेंशन काम किसको रूपये देकर करवाते हो जिस पर आरोपी श्री रमेश चन्द्र कोटेड ने बताया कि मैं पीएफ ऑफीस उदयपुर में मोहनजी यादव को रूपये देकर काम करवाता हूँ। जिस पर आरोपी श्री रमेशचन्द्र कोटेड से उसके मोबाईल नं. [redacted] से मोहनजी यादव के मोबाईल नं. [redacted] पर कॉल करवाया तो मोहन यादव ने कॉल रिसीव किया जिससे आरोपी श्री रमेश चन्द्र कोटेड ने कहा कि गटूलाल का काम हुआ क्या जिस पर मोहन यादव ने कहा कि नहीं हुआ अभी सप्ताह भर और लगेगा। जिस पर रमेशचन्द्र ने कहा कि वो आदमी तैयार हैं तो मोहन ने कहा कि मरवा दो कहते हुए फोन काट दिया। श्री रमेश चन्द्र के आईटेल कम्पनी के कीपेड मोबाईल में ईपीएफ मोहनजी के नाम से सेव नम्बर हैं। मोहनजी के नाम की कॉल विवरण देखा गया तो आरोपी श्री रमेश चन्द्र व मोहनजी के बीच बातचीत होती रहती हैं। उपरोक्त कार्यवाही की फर्द हाथ धुलाई एवं बरामदगी रिश्वती राशि अलग से

मूर्तिब कर संबंधितों के हस्ताक्षर करवाये गये। उक्त फर्द हाथ धुलाई एवं बरामदगी श्री नारायण लाल अ.प्र.अ. द्वारा मेरे निर्देशानुसार टंकन कर तैयार की गई। समय 02.00 पी.एम. पर पूर्व में जरिये दूरभाष पाबन्दशुदा महिला कानि. श्रीमती मुन्ना कुमारी नं. 1006 रिजर्व पुलिस लाईन, डूंगरपुर से कार्यालय में उपस्थित हुई। जिन्हे कार्यवाही में सम्मिलित होने हेतु पाबन्द किया गया। समय 02.15 पी.एम. पर आरोपी श्री रमेशचन्द्र कोटेड के रिहायशी मकान स्थित गुमानपुरा, तहसील व जिला डूंगरपुर की निगरानी हेतु श्री महेशचन्द्र कानि. को गुमानपुरा के लिए रवाना किया गया। समय 02.30 पी.एम. पर दिनांक 09-10-2024 को समय 12.20 पर परिवादी श्री गटूलाल को डिजिटल टेप रिकॉर्डर चालू कर सुपुर्द कर लेनदेन वार्ता करने हेतु रवाना किया। श्री गटूलाल एवं आरोपी श्री रमेश चन्द्र के बीच दौराने रिश्वत राशि लेन-देन मोबाईल वार्ता जिसे परिवादी ने अपने मोबाईल के स्पीकर को ऑन कर वार्ता की गई एवं रिश्वत राशि लेन-देन के वक्त रूबरू वार्ता जिसे परिवादी श्री गटूलाल द्वारा डिजिटल टेप रिकार्डर में रिकोर्ड किया गया। उक्त डिजिटल टेप रिकोर्डर को श्री जितेन्द्रकुमार कान्सटेबल नम्बर 390 से कार्यालय हाजा के लेपटॉप से कनेक्ट करा चलाकर मोबाईल वार्तालाप की फर्द ट्रान्सक्रीप्ट तैयार पृथक से तैयार की जाकर संबंधितो के हस्ताक्षर करवाये गये थे। समय 03.45 पी.एम. पर आरोपी श्री रमेशचन्द्र कोटेड के रिहायशी मकान स्थित गुमानपुरा तहसील व जिला डूंगरपुर की खाना तलाशी लिया जाना आवश्यक हैं जिसमें स्वतंत्र गवाहान की आवश्यकता होने से श्रीमान् अधीक्षण अभियंता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, डूंगरपुर के नाम कार्यालय के पत्रांक 997 दिनांक 09.10.2024 जारी कर श्री वीर विक्रम सिंह कानि. को तलबी हेतु रवाना किया गया। समय 04.05 पी.एम. पर श्री वीर विक्रम सिंह कानि. मय स्वतंत्र गवाहान पिता श्री मेघराज वरहात जाति भील उम्र 46 वर्ष निवासी गांव बोखला तहसील बिछीवाडा जिला डूंगरपुर हाल प्रशासनिक अधिकारी कार्यालय अधीक्षण अभियंता, सार्वजनिक निर्माण विभाग वृत्त डूंगरपुर। मो. नं. [redacted] एवं श्री अनार सिंह पिता श्री गलजी जाति दरोगा उम्र 58 वर्ष निवासी गांव नवलश्याम तहसील बिछीवाडा जिला डूंगरपुर हाल अतिरिक्त प्रशासनिक अधिकारी कार्यालय अधीक्षण अभियंता, सार्वजनिक निर्माण विभाग वृत्त डूंगरपुर। मो. नं. [redacted] के उपस्थित कार्यालय हुआ। दोनों स्वतंत्र गवाहान को कार्यवाही में सम्मिलित होने हेतु निर्देशित किया गया। समय04.15 पी.एम. पर मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी, बिछीवाडा जिला डूंगरपुर को परिवादी श्री गटूलाल के सेवानिवृत्ति एवं पीएफ संबंधी रिकॉर्ड हेतु पत्रांक 998 दिनांक 09.10.2024 जारी किये तथा मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी, बिछीवाडा जिला डूंगरपुर को आरोपी श्री रमेशचन्द्र कोटेड के सेवा विवरण हेतु पत्रांक 1000 दिनांक 09.10.2024 जारी किया। समय 04.30 पी.एम. पर श्री राजेन्द्र सिंह पुलिस निरीक्षक, दोनों स्वतंत्र गवाहान श्री दिनेश कुमार वरहात एवं श्री अनारसिंह तथा श्रीमती मुन्ना कुमारी म.कानि. नं. 1006, श्री बाबूलाल कानि. मय लेपटोप, प्रिन्टर एवं केमरा के सरकारी वाहन से आरोपी श्री रमेश चन्द्र कोटेड के रिहायशी मकान स्थित गुमानपुरा के लिए रवाना किये गये। समय 05.00 पी.एम. पर गवाहान के समक्ष आरोपी श्री रमेश चन्द्र कोटेड पिता श्री हलियाजी कोटेड जाति मीणा, उम्र 58 वर्ष निवासी गांव गुमानपुरा तहसील व जिला डूंगरपुर हाल शिक्षाकर्मी राजकीय प्राथमिक विद्यालय आरा, तहसील बिछीवाडा जिला डूंगरपुर के विरूद्ध जुर्म धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम (संशोधित) 2018 का अपराध प्रमाणित होने के पर्याप्त साक्ष्य है। उक्त कार्यवाही के उचित अन्वेषण के लिए इनकी गिरफ्तारी आवष्यक है अगर इन्हे गिरफ्तार नहीं किया गया तो यह गवाह/परिवादी को डरा धमका/प्रलोभन देकर उन्हे होस्टाईल कर सकता है, साक्ष्य को खत्म कर सकता है, यदि गिरफ्तार नही किया गया तो यह व्यक्ति भाग भी सकता है जिस के कारण प्रकरण के विचारण के समय इन्हे न्यायालय में समय पर पेष नही किया जा सकेगा, आरोपी श्री रमेश चन्द्र कोटेड हाल शिक्षाकर्मी राजकीय प्राथमिक विद्यालय आरा, तहसील बिछीवाडा जिला डूंगरपुर के विरूद्ध जुर्म धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम (संशोधित) 2018 का अपराध प्रथम दष्टया प्रमाणित पाये जाने एवं आरोपी की गिरफ्तारीआवश्यक होने से धारा 65 बी (2) भारतीय नागरीक सुरक्षा संहिता 2023 की पालना कर बाद आगाह जुर्म के नियमानुसार गिरफ्तार किया जाकर आरोपी की जामा तलाषी स्वतंत्र गवाह श्री मनोज सुथार से लिवाई गई तो आरोपी के पास एक मोबाईल जो आईटेल कम्पनी का हो उसमें दो सीमे जिसमे एक सीम वोडाफोन कम्पनी की जिस के नम्बर [redacted] एवं दुसरी सीम वोडाफोन कम्पनी की हो जिसके नम्बर [redacted] व एक पर्स मिला जिसमें कुल 5 रूपये मीले। मोबाईल व पर्स मय 5 रूपये आरोपी के कहे अनुसार आरोपी का भाणेज श्री चन्दूलाल को सुपुर्द किये गये। इस के अलावा आरोपी की जामा तलाषी में अन्य कोई वस्तु/राशि बरामद नहीं हुई न ही कब्जे ब्यूरो ली गयी। गिरफ्तारी की सूचना आरोपी के बताये अनुसार आरोपी के भाणेज श्री चन्दूलाल जो कार्यालय पर उपस्थित है, जिसको दी गई। फर्द गिरफ्तारी अलग से मुर्तिब कर संबंधितों के हस्ताक्षर करवाये गये। समय 05.30 पी.एम. पर आरोपी श्री रमेशचन्द्र कोटेड को भ्र.नि.ब्यूरो डूंगरपुर के पत्रांक 1001 दिनांक 09-10-2024 आवाज का नमूना एवं स्पष्टीकरण प्राप्त करने के संबंध में दिया गया तो, आरोपी ने इसी पर अपनी आवाज का नमूना देने से मना किया है साथ ही अपने स्पष्टीकरण में अंकित किया कि बाद में अपना स्पष्टीकरण पेश करूंगा। उक्त पत्र पर स्वतंत्र गवाहान के हस्ताक्षर करवाकर शामिल पत्रावली किये गये। समय 06.20 पी.एम. पर श्री राजेन्द्र सिंह पुलिस निरीक्षक, दोनों स्वतंत्र गवाहान श्री दिनेश कुमार वरहात एवं श्री अनारसिंह, श्री महेशचन्द्र कानि., श्रीमती मुन्ना कुमारी म.कानि. तथा श्री बाबूलाल कानि. मय लेपटोप, प्रिन्टर एवं केमरा के बाद आरोपी के रिहायशी मकान की खानातलाशी सरकारी वाहन से कार्यायल में उपस्थित हुये और खाना तलाशी रिपोर्ट पेश की जिसका अवलोकन किया जाकर

शामिल पत्रावली की गई। समय 06.25 पी.एम. पर मन् पुलिस उप अधीक्षक मय स्वतंत्र गवाहान एवं श्री करण सिंह एएसआई व परिवादी श्री गटुलाल के घटना स्थल सीन्टेक्स चौराहा बाईपास रोड डूंगरपुर के लिए कार्यालय से जरिये सरकारी वाहन रवाना हुआ। समय 06.55 पी.एम. पर मन् पुलिस उप अधीक्षक मय स्वतंत्र गवाहान एवं श्री करण सिंह एएसआई व परिवादी श्री गटुलाल के बाद निरीक्षण घटना स्थल नक्श मौका मुर्तिब कर घटना स्थल से मय हमराहियानों के जरिये सरकारी वाहन रवाना हो कार्यालय में उपस्थित हुआ। फर्द नक्शा मौका अलग से मूर्तिब कर संबंधितों के हस्ताक्षर कराये गये। समय 07.00 पी.एम. पर पूर्व में पाबन्दशुदा श्री आबूलाल मनात मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी बिछीवाडा जिला डूंगरपुर कार्यालय में हाजिर आये और अपने कार्यायल के पत्रांक 712 दिनांक 09.10.2024 के साथ आरोपी श्री रमेश चन्द्र कोटेड का सेवा विवरण एवं राजस्थान शिक्षाकर्मी बोर्ड जयपुर के आदेश क्रमांक 9173-82 दिनांक 01.01.2008 द्वारा आरोपी रमेश चन्द्र कोटेड को शिक्षाकर्मी सहयोगी पंचायत समिति बिछीवाडा जिला डूंगरपुर का नियुक्ति आदेश की प्रमाणित प्रति तथा आरोपी श्री रमेश चन्द्र कोटेड के शिक्षाकर्मी पद पर प्रथम नियुक्ति आदेश कार्यालय पंचायत समिति बिछीवाडा जिला डूंगरपुर के आदेश क्रमांक 8229 दिनांक 10.02.1993 की प्रमाणित प्रति एवं आरोपी श्री रमेश चन्द्र कोटेड का उक्त आदेश की पालना में उपस्थिति देने हेतु स्वयं के प्रार्थना पत्र की प्रमाणित प्रति पेश की जिसे शामील पत्रावली किया गया। श्री आबूलाल मनात ने बताया कि मैं अगस्त 2019 से ब्लॉक शिक्षा अधिकारी बिछीवाडा के पद पर पदस्थापित हूँ। मेरा ब्लॉक बिछीवाडा में समस्त माध्यमिक शिक्षा एवं प्रारम्भिक शिक्षा के विद्यालयों की मोनिटरिंग करने का कार्य हैं। ब्लॉक बिछीवाडा में कार्यरत सभी शिक्षाकर्मियों का प्रभारी हूँ। मेरे ब्लॉक के सभी शिक्षाकर्मियों के रिकॉर्ड का संधारण, वेतन, समय-समय पर बैठकों का आयोजन एवं सेवा निवृत्ति के पश्चात पीएफ की राशि दिलाने के लिए ऑनलाईन आवेदन करने के लिए श्री रमेशचन्द्र कोटेड को शिक्षाकर्मी सहयोगी के रूप में नियुक्त किया गया हैं। शिक्षाकर्मियों से संबंधित उक्त सभी कार्य श्री रमेश चन्द्र कोटेड ही करता था। जनवरी 2018 से ब्लॉक बिछीवाडा में से ब्लॉक झौथरी को अलग किया गया था। जिस कारण परिवादी श्री गटूलाल का पदस्थापन स्थान ब्लॉक झौथरी हो गया था। लेकिन समस्त शिक्षाकर्मियों का ईपीएफ पोर्टर पर रजिस्ट्रेशन ब्लॉक बिछीवाडा के अन्तर्गत होने के कारण परिवादी श्री गटूलाल के ईपीएफ पोर्टर पर पीएम पेंशन के आवेदन की जिम्मेदारी श्री रमेश चन्द्र कोटेड शिक्षाकर्मी सहयोगी की थी। परिवादी श्री गटूलाल सेवानिवृत्ति के पश्चात मेरे पास पीएफ की पासबुक लेकर आया था जिसके पदस्थापन काल की समस्त प्रविष्ठियाँ पीएफ पासबुक में करके सुपुर्द कर दी थी। इसके बाद परिवादी श्री गटूलाल मेरे पास कभी भी नहीं आया। श्री रमेश चन्द्र कोटेड की मेरे कार्यालय के आदेश क्रमांक 24 दिनांक 10.04.2023 के तहत वरिष्ठ शिक्षाकर्मी के पद पर राजकीय प्राथमिक विद्यालय आरा फला में उपस्थिति देने हेतु कार्यमुक्त कर दिया था। लेकिन ब्लॉक बिछीवाडा के शिक्षाकर्मियों का प्रभार श्री रमेश चन्द्र कोटेड के पास ही था। परिवादी श्री गटूलाल से श्री रमेश चन्द्र कोटेड ने किस काम के लिए रूपये लिये जिसका मुझे को पता नहीं हैं। श्री रमेश चन्द्र कोटेड से मैने कभी भी रूपयों के संबंध में कोई बात नहीं की हैं। शिक्षाकर्मियों से संबंधित कभी-कभी मेरी इनसे बात होती थी। दिनांक 08.10.2024 को दौराने रिश्वती राशि के मांग सत्यापन वार्ता परिवादी श्री गटूलाल व आरोपी श्री रमेशचन्द्र कोटेड के मध्य मोबाईल व रूबरू हुई थी जिसे परिवादी के द्वारा ब्यूरो के डिजिटल टेप रिकॉर्डर मय मेमोरी कार्ड में रिकॉर्ड की गई तथा आज दिनांक 09.10.2024 रिश्वती राशि के लेनदेन के दौरान परिवादी श्री गटूलाल व आरोपी श्री रमेशचन्द्र कोटेड से हुई मोबाईल व रूबरू वार्ता जिसको डिजिटल टेप रिकोर्डर मय मेमोरी कार्ड में परिवादी श्री गटूलाल के द्वारा रिकोर्ड की गई। ब्लॉक शिक्षाधिकारी, ब्लॉक बिछीवाडा के श्री आबूलाल मनात को उक्त वार्तालाप के मुख्य-मुख्य अंश सुनाए गए तो श्री आबूलाल मनात द्वारा उक्त वार्तालाप में एक आवाज श्री रमेशचन्द्र कोटेड की होने की पहचान की गई और बताया कि रमेश चन्द्र कोटेड मेरे कार्यालय में शिक्षाकर्मी सहयोग के रूप में लम्बे समय तक कार्यरत थे इसलिए मैं उनकी आवाज अच्छी तरह से पहचानता हूँ। समय 08.00 पी.एम. पर डिजिटल टेप रिकॉर्डर मय मेमोरी कार्ड को सरकारी लेपटॉप से श्री जितेन्द्रकुमार कान्सटेबल से कनेक्ट करा दिनांक 08.10.2024 को समय 12.04 पीएम पर परिवादी श्री गटूलाल व आरोपी श्री रमेशचन्द्र कोटेड के मध्य हुई मोबाईल वार्ता एवं दिनांक 08.10.2024 को समय 12.50 पीएम पर परिवादी श्री गटूलाल व आरोपी श्री रमेशचन्द्र कोटेड के मध्य हुई रूबरू रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता तथा आज दिनांक 09.10.2024 को परिवादी श्री गटूलाल व आरोपी श्री रमेशचन्द्र के मध्य हुई रिश्वत राशि लेन-देन के वक्त हुई मोबाईल व रूबरू वार्ता एवं आज दिनांक 09.10.2024 आरोपी श्री रमेशचन्द्र कोटेड एवं श्री मोहन यादव के बीच हुई मोबाईल वार्ता की दो पेनड्राईव तैयार की गयी। एक पर मूल पेनड्राईव तथा दूसरी पर डब पेनड्राईव लिखा गया। मूल पेनड्राईव MORJIM 16 जी.बी. को कवर में रखकर उस पर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाकर कवर को एक सफेद कपड़े की थेली में रखकर नियमानुसार सिलचिटबंद कर मार्क च् अंकित कर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवा करवाकर कब्जे ब्यूरो लिया गया तथा डब पेनड्राईव MORJIM16 जी.बी. को कवर में रखकर उस पर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाये जाकर सुरक्षित रखा गया। समय 08.30 पी.एम. पर दिनांक 08.10.2024 को समय 12.04 पीएम पर परिवादी श्री गटूलाल व आरोपी श्री रमेशचन्द्र कोटेड के मध्य हुई मोबाईल वार्ता एवं दिनांक 08.10.2024 को समय 12.50 पीएम पर परिवादी श्री गटूलाल व आरोपी श्री रमेशचन्द्र कोटेड के मध्य हुई रूबरू रिश्वत राशि मांग सत्यापन वार्ता तथा आज दिनांक 09.10.2024 को समय करीब 11.41 एएम पर परिवादी श्री गटूलाल व आरोपी श्री रमेशचन्द्र के मध्य हुई मोबाईल वार्ता एवं आज दिनांक 09.10.2024

को समय करीब 12.20 पीएम पर रिश्वत राशि लेन-देन के वक्त हुई मोबाईल व रूबरू वार्ता एवं आज दिनांक 09.10.2024 को समय 01.02 पीएम पर आरोपी श्री रमेशचन्द्र कोटेड एवं श्री मोहन यादव के बीच हुई मोबाईल वार्ता जो ब्यूरो के डिजिटल टेप रिकॉर्डर के मेमोरी कार्ड में रिकॉर्ड हुई। जिसकी हेश वेल्यू नियमानुसार निकलवाकर उस पर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाये जाकर उक्त मेमोरी कार्ड को डिजिटल टेप रिकॉर्डर में से मूल ही निकलवाया गया तो मेमोरी कार्ड बरंग काला जिस पर MORJIM4 जी.बी. लिखा हुआ है, उक्त मेमोरी कार्ड को उसके कवर में रखकर कवर पर संबंधितों के हस्ताक्षर करवाकर उक्त कवर मय मेमोरी कार्ड को एक सफेद कपडे की थैली में डालकर सीलचीट किया जाकर थैली पर एक सफेद कागज की चीट लगाकर उस पर भी संबंधितों के हस्ताक्षर करवाकर थैली पर मार्क ड दिया जाकर जरिये फर्द वजह सबूत नियमानुसार जब्त किया गया। दिनांक 09.10.2024 को समय करीब 11.41 एएम पर हुई मोबाईल वार्ता की फाईल प्रदर्शित हो रही हैं लेकिन किसी तकनिकी कारणवश प्ले नहीं हो रही हैं। समय 08.50 पी.एम. पर कार्यवाही के दौरान् सरकारी केमरे से विडियोग्राफी की गई थी, उक्त विडियोग्राफी केमरे में लगे मेमोरी कार्ड में रिकॉर्ड हुई रिकॉर्डिंग को केमरे को लेपटॉप से कनेक्ट कर उपरोक्त विडियो रिकॉर्डिंग के दो पेनड्राईव तैयार किये गये जिसमें से एक मूल पेनड्राईव को कवर में रखकर एक लिफाफे में रखवाकर उस पर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाये जाकर नियमानुसार एक कपड़े की थेली में रखकर सिलचिट बन्द कर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाये गये एक पेनड्राईव को कवर में रखकर लिफाफे में सुरक्षित रखवाया गया। उक्त विडियोग्राफी श्री बाबूलाल कानि. द्वारा करवाई गई, जिसकी फर्द अलग से मुर्तिब की गई तथा आरोपी की खाना तलाशी के दौरान् सरकारी केमरे से विडियोग्राफी की गई थी, उक्त विडियोग्राफी केमरे में लगे मेमोरी कार्ड में रिकॉर्ड हुई रिकॉर्डिंग को केमरे को लेपटॉप से कनेक्ट कर उपरोक्त विडियो रिकॉर्डिंग की एक पेनड्राईव तैयार की गई। जिसे एक लिफाफे में रखवाकर उस पर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाये गये तथा केमरे की विडियोग्राफी श्री महेश चन्द्र कानि. से करवाई गई। समय 09.15 पी.एम. पर तलविदा श्री नवीन पुत्र श्री कन्हैयालाल साद जाति साद उम्र 30 वर्ष निवासी कनबा तहसील बिछीवाडा जिला डूंगरपुर हाल संचालक ईमित्र कनबा उपस्थित कार्यालय होकर बताया कि मेरे कनबा गांव में ईमित्र की दुकान हैं। जिससे मैं राशन कार्ड बनाना, मूल निवास व जाति प्रमाण पत्र एवं पीएफ के आवेदन से संबंधित कार्य करता हूँ। श्री रमेशजी कोटेड ब्लॉक शिक्षा अधिकारी बिछीवाडा के कार्यालय में काम करते हैं, जो कि मेरे ईमित्र की दुकान पर आकर पीएफ आवेदन से संबंधित कार्य कराते हैं। दिनांक 16.09.2024 को सुबह करीब 10.30 एएम पर मेरी ईमित्र की दुकान पर रमेशजी व गटूलालजी आये थे। श्री रमेशजी के कहने पर मैने श्री गटूलाल के पीएफ विड्रोल का आवेदन पत्र को ऑन लाईन किया था। गटूलाल का पीएफ विड्रोल आवेदन पत्र रिजेक्ट हो गया। जिसकी सूचना मैने श्री गटूलाल को दे दी थी और बताया था कि आप वापस ईमित्र पर आ जाना मैं वापस पीएफ वीड्रोल आवेदन पत्र ऑनलाईन कर दूंगा। दिनांक 08.10.2024 को दिन में करीब 2 बजे श्री गटूलाल मेरे ईमित्र की दुकान पर आये और मुझे कहा कि मेरा पीएफ विड्रोल आवेदन पत्र ऑनलाईन कर दो जिस पर मैने श्री गटूलाल का पीएफ विड्रोल आवेदन पत्र ऑनलाईन कर दिया था। दो बार पीएफ विड्रोल आवेदन पत्र ऑन लाईन करने की एवज में मैने 200 रूपये शुल्क लिया था। श्री नवीन ने श्री गटूलाल के पीएफ विड्रोल आवेदन पत्र ऑनलाईन प्रति दिनांक 16.09.2024 एवं दिनांक 08.10.2024 की स्वयं के हस्ताक्षर कर पेश की गई साथ ही श्री गटूलाल के ऑनलाईन क्लेम स्टेटस डेक्सबोर्ड की प्रति स्वयं के हस्ताक्षर कर पेश की गई। जिसे शामिल पत्रावली की किये गये। मैने रमेशजी कोटेड से कभी भी रूपये नहीं लिये हैं। मैं ऑनलाईन काम करने के बदले में मेरा शुल्क ही लेता हूँ। समय 09.45 पी.एम. पर ट्रेप कार्यवाही विरूद्व श्री रमेशचन्द्र कोटेड में जब्तशुदा रिश्वती राशि, धोवन की सिल्ड शिशियां, सिल्डशुदा पेनड्राईव, मेमोरी कार्ड, जब्त शुदा आर्टीकल्स को मालखाना प्रभारी श्री वीर विक्रम सिंह को जप्तशुदा आर्टिकल को मालखाना रजिस्टर में इन्द्राज कर सुरक्षित रखने की हिदायत दी गई। गवाहान श्री प्रवीण सिंह, श्री मनोजकुमार, श्री दिनेश कुमार, श्री अनारसिंह, श्रीमती मुन्ना कुमारी म.कानि. एवं परिवादी श्री गटूलाल को मुनासिब हिदायत देकर रूखसत किये गये। समय 11.45 पी.एम. पर आरोपी श्री रमेशचन्द्र कोटेड का स्वास्थ्य परीक्षण करवाया जाना एवं सुरक्षा की दृष्टि से बंद हवालात कराना आवश्यक होने से ब्यूरो जाप्ता श्री राजेन्द्र सिंह पु.नि. एवं श्री जितेन्द्र कुमार कानि. मय सरकारी वाहन के गिरफ्तारशुदा आरोपी श्री रमेशचन्द्र कोटेड का स्वास्थ्य परीक्षण कराने हेतु राजकीय हरिदेवजोशी चिकित्सालय, डूंगरपुर एवं बंद हवालात कराने पुलिस थाना सदर के लिए हिदायतन रवाना किया गया। दिनांक 10-10-2024 समय 00.30 ए.एम. पर ब्यूरो जाप्ता श्री राजेन्द्र सिंह पु.नि. एवं श्री जितेन्द्र कुमार कानि. मय सरकारी वाहन के गिरफ्तारशुदा आरोपी श्री रमेशचन्द्र कोटेड का स्वास्थ्य परीक्षण राजकीय हरिदेवजोशी चिकित्सालय, डूंगरपुर से करा रवाना हो पुलिस थाना सदर पहुॅच आरोपी श्री रमेशचन्द्र कोटेड को बंद हवालात करा उपस्थित कार्यालय आये और परीक्षण रिपोर्ट एवं पुलिस थाना सदर के रोजनामचा आम की नकल रपट मन् पुलिस उप अधीक्षक को पेश की जिसे शामील पत्रावली की गई। आरोपी को जरिये जैसी रिमाण्ड हेतु माननीय न्यायालय पेश किया गया। इस प्रकार अब तक की कार्यवाही से यह पाया गया कि श्री रमेश चन्द्र कोटेड पिता श्री हलियाजी कोटेड जाति मीणा, उम्र 58 वर्ष निवासी गांव गुमानपुरा तहसील व जिला डूंगरपुर हाल शिक्षाकर्मी राजकीय प्राथमिक विद्यालय आरा, तहसील बिछीवाडा जिला डूंगरपुर द्वारा एक लोकसेवक होते हुये अपने वैध पारिश्रमिक के अलावा पदीय कार्य करने में भ्रष्ट एवं अवैध तरीके से परिवादी गटूलाल से उसकी पेंशन प्रकरण तैयार कराने की एवज में 20,000/- रूपये मांग करना एवं जिसमें से पूर्व में 5000/- रूपये ले लेना तथा दौराने ट्रेप कार्यवाही

10,000 रूपये रिश्वत राशि ग्रहण करना प्रथम दृष्टया प्रमाणित पाया गया हैं, जो कि जुर्म धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988(यथा संशोधित 2018) के तहत दण्डनीय अपराध हैं। श्री मोहन यादव पीएफ ऑफीस उदयपुर की भूमिका संदिग्ध हैं। अतः आरोपी श्री रमेश चन्द्र कोटेड पिता श्री हलियाजी कोटेड जाति मीणा, उम्र 58 वर्ष निवासी गांव गुमानपुरा तहसील व जिला डूंगरपुर हाल शिक्षाकर्मी राजकीय प्राथमिक विद्यालय आरा, तहसील बिछीवाडा जिला डूंगरपुर के विरूद्ध अन्तर्गत धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988(यथा संशोधित 2018) में बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट क्रमांकन हेतु प्रेषित हैं। (रतनसिंह राजपुरोहित) पुलिस उप अधीक्षक भ्र.नि.ब्यूरो, डूंगरपुर .....कार्यवाही पुलिस..... प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त टाईप शुदा बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट रतनसिंह राजपुरोहित, उप अधीक्षक पुलिस, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, डूंगरपुर ने प्रेषित की है। मजमून रिपोर्ट से जुर्म अन्तर्गत धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधन 2018) में आरोपी श्री रमेश चन्द्र कोटेड पिता श्री हलियाजी कोटेड उम्र 58 वर्ष निवासी गांव गुमानपुरा तहसील व जिला डूंगरपुर हाल शिक्षाकर्मी राजकीय प्राथमिक विद्यालय आरा, तहसील बिछीवाडा जिला डूंगरपुर के विरूद्ध पंजीबद्ध कर प्रथम सूचना रिपोर्ट की प्रतियॉं नियमानुसार जारी की गई। अनुसंधान अधिकारी श्री ऋषिकेश मीना अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो बॉसवाड़ा को मनोनीत किया गया। उक्त की रोजनामचा आम रपट 637 पर अंकित है। (ज्ञान सिंह चौधरी) पुलिस अधीक्षक-प्रशासन, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, राजस्थान, जयपुर। क्रमांक 1238-41 दिनांक 10-10-2024 प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है। 1-विशिष्ट न्यायाधीश एवं सैशन न्यायालय, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम उदयपुर। 2-जिला शिक्षा अधिकारी मुख्यालय प्रारम्भिक शिक्षा डूंगरपुर। 3-उप महानिरीक्षक पुलिस, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो,उदयपुर । 4-अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, डूंगरपुर। पुलिस अधीक्षक-प्रशासन, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, राजस्थान, जयपुर।

13. Action taken : Since the above information reveals commission of offence(s) u/s as mentioned at Item No. 2.
(की गई कार्यवाही: चूँकि उपरोक्त जानकारी से पता चलता हैं कि अपराध करने का तरीका मद सं.2 में उल्लेख धारा के तहत हैं):

(1) **Registered the case and took up the investigation (प्रकरण दर्ज किया गया और जाँच के लिए लिया गया):**

or (या)

(2) **Directed (Name of I.O.): (जाँच अधिकारी का नाम):** risikes meena **Rank (पद):** अपर पुलिस अधीक्षक

No(सं.): **to take up the Investigation (को जाँच अपने पास में लेने के लिए निर्देश दिया गया) or(या)**

(3) **Refused investigation due to (जाँच के लिए) :**

or (के कारण इंकार किया, या)

(4) **Transferred to P.S.(थाना):** **District (जिला):**

on point of jurisdiction (को क्षेत्राधिकार के कारण हस्तांतरित) .

F.I.R.read over to the complainant/informant,admitted to be correctly recorded and a copy given to the complainant/informant free of cost.

(शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता को प्राथमिकी पढ़ कर सुनाई गई, सही दर्ज हुई माना और एक प्रति निःशुल्क शिकायतकर्ता को दी गई।)
R.O.A.C.(आर.ओ.ए.सी.)

14. Signature/Thumb impression of the complainant / informant
(शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता के हस्ताक्षर / अंगूठे का निशान):

Signature of Officer in charge, Police Station
(थाना प्रभारी के हस्ताक्षर)

Signed by: Gyan Singh Choudhary
Location: Rajasthan,IN
Date: 1[illegible]0/2024 2[illegible]2

Name(नाम): GYAN SINGH CHOUDHARY
Rank (पद): SP (Superintendant of Police)
No(सं.):

15. Date and time of dispatch to the court
(अदालत में प्रेषण की दिनांक और समय):

Attachment to item 7 of First Information Report (प्रथम सूचना रिपोर्ट के मद 7 संलग्नक):

Physical features, deformities and other details of the suspect/accused:(If known/seen)
(संदिग्ध / अभियुक्त की शारीरिक विशेषताएँ, विकृतियाँ और अन्य विवरण :(यदि ज्ञात / देखा गया))

S.No.(क्र.सं.)	Sex (लिंग)	Date/Year of Birth (जन्म तिथि / वर्ष)	Build (बनावट)	Height(cms.) (कद(से.मी))	Complexion (रंग)	Identification Mark(s) (पहचान चिन्ह)
1	2	3	4	5	6	7
1	Male	1966				

Deformities/ Peculiarities (विकृतियाँ/ विशिष्टताएँ)	Teeth (दाँत)	Hair (बाल)	Eyes (आँखें)	Habit(s) (आदतें)	Dress Habit(s) (पहनावा)
8	9	10	11	12	13

Language /Dialect (भाषा /बोली)	Place Of(का स्थान)					Others (अन्य)
	Burn Mark (जले हुए का निशान)	Leucoderma (श्वेत रोग)	Mole (मस्सा)	Scar (घाव)	Tattoo (गूदे हुए का)	
14	15	16	17	18	19	20

These fields will be entered only if complainant/informant gives any one or more particulars about the suspect/accused.
(यह क्षेत्र तभी दर्ज किए जाएंगे यदि शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता संदिग्ध / अभियुक्त के बारे में कोई एक या उससे अधिक जानकारी देता है |)